POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 08.12.2024

थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 02 मोबाईल फोन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 07 मोबाईल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी के, 1000/-रुपये नगद व 02 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक **08.12.2024** को मोजर बीयर गोलचक्कर के पास से 02 अभियुक्त 1.राकेश यादव पुत्र स्व0 नगेन्द्र सिंह 2. प्रवीन शर्मा पुत्र जयप्रकाश शर्मा को **गिरफ्तार** किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी के 07 मोबाईल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी के बरामद किये गये तथा मोबाईल चोरी कर बेचकर प्राप्त 1000/- रुपये को अभियुक्तगण के कब्जे से नगद बरामद हुए है तथा 02 अवैध चाकू बरामद हुए है। जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर 731/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राकेश यादव पुत्र स्व0 नगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ढकनी थाना चम्भंरी जिला आरा बिहार हालपता भगत सिंह स्कूल वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर गौतमबुद्धगर उम्र 20 वर्ष ,
2. प्रवीन शर्मा पुत्र जयप्रकाश शर्मा निवासी बसी थाना खेकडा जिला बागपत हालपता हनुमान मन्दिर वाली गली कुलेसरा थाना इकोटेक -3 गौतमबुद्धनगर उम्र 45 वर्ष

अभियुक्त राकेश यादव व प्रवीन शर्मा का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-655/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0-727/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0-731/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण --

1. 07 मोबाईल फोन चोरी के भिन्न भिन्न कम्पनी के
2. 02 अवैध चाकू ।
3. 1000/- रुपये नगद बरामद।

2. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा टप्पेबाजी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, टप्पेबाजी की घटना से संबंधित एक मोबाइल फोन, छोटी सफेद डिब्बी जिसमें सोडियम नामक पदार्थ, लकडी का टुकडा व 02 चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.12.2024** को **थाना सेक्टर-58** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से थाना क्षेत्र के जयपुरिया चौराहे से छोटा डी पार्क के पास से टप्पेबाजी करने वाले 04 अभियुक्तों 1.शेरू 2.जहीर 3.गुल हसन व 4.रियाजुद्दीन को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सेन्ट्रो कार रजि0 नं0 डीएल3सीबीब्यू-4185, टप्पेबाजी की घटना से संबंधित मोबाइल फोन वनप्लस, छोटी सफेद डिब्बी जिसमें सोडियम नामक पदार्थ व लकडी का टुकडा व 02 अवैध चाकू बरामद हुए है।

अपराध कारित करने का तरीका-- अभियुक्त 1.शेरू 2.जहीर 3.गुल हसन व 4.रियाजुद्दीन शातिर किस्म के अपराधी है, जो लोगो को अपनी कार में सवारी के रूप में बैठाकर अपने पास मौजूद छोटी सफेद डिब्बी जिसमें सोडियम नामक प्रदार्थ व लकडी के टुकडे से आग जलाकर लोगो को भम्रित करते हुए उनसे टप्पेबाजी की घटना कारित करते है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम राह चलते लोगों को इस सोडियम व लकड़ी के टुकड़े की मदद से आग जलाकर जादू दिखाकर भ्रमित करते हैं और सेंट्रो गाड़ी में बैठकर टप्पेबाजी की घटना कारित करते है। बरामद मोबाइल फोन भी एक अनजान व्यक्ति से कार में बैठाकर टप्पेबाजी करने की घटना से संबंधित है, जो अभियुक्त गुल हसन से बरामद हुआ है।

अभियुक्तो का विवरण--

1. शेरू पुत्र विजय निवासी झुग्गी, डेयरी कलंदर कॉलोनी, दिलशाद गार्डन, थाना सीमापुरी, दिल्ली।
2. जहीर पुत्र मुख्तियार निवासी झुग्गी, डेयरी कलंदर कॉलोनी, दिलशाद गार्डन, थाना सीमापुरी, दिल्ली।
3. गुलहसन पुत्र परवाना निवासी झुग्गी, कलंदर कॉलोनी, जहांगीरपुरी, थाना भलस्वा, दिल्ली।
4. रियाजुद्दीन पुत्र साजिद निवासी झुग्गी, विजय नगर, सेक्टर-11, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त सेन्ट्रो कार रजि0 नं0 डीएल3सीबीब्यू-4185
2. टप्पेबाजी की घटना से संबंधित एक मोबाइल फोन वनप्लस
3. 02 अवैध चाकू
4. छोटी सफेद डिब्बी जिसमें सोडियम नामक प्रदार्थ व लकडी का टुकडा

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं-479/2024 धारा 312, 313, 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।